

वशेष ग्राम सभा, महिला सभा का आयोजन

प्रीलमिस के लिये:

महिला सभा, अंतरराष्ट्रीय महिला दविस

मेन्स के लिये:

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 8 मार्च, 2020 को अंतरराष्ट्रीय महिला दविस के अवसर पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों में वशेष ग्राम सभा और महिला सभा का आयोजन करने का नरिदेश दिया है।

मुख्य बदि:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020 के अंतरराष्ट्रीय महिला दविस का वषिय 'पीढी समानता: महिलाओं की अधिकार प्राप्ति' (Generation Equality: Realizing Women's Right) है।
- इसके अतरिकित सभी ग्राम पंचायतों से 8- 22 मार्च, 2020 तक महिला और बाल वकिस मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार पोषण पखवाड़ा आयोजति करने को भी कहा गया है।

ग्राम सभाओं और महिला सभाओं के आयोजन से संबंधति वषिय:

- पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इन वशेष ग्राम सभाओं और महिला सभाओं का आयोजन 'कम्युनरिटी रसोर्स पर्सन' (Community Resource Persons-CRPs) जैसे- आँगनवाड़ी, आशा, सखी तथा एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife-ANM) के सहयोग से कथि जाएगा।
- ग्राम सभाओं में पोषण पंचायत, भूमि अधिकार, शक्तिषा, सुरकषा, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा महिलाओं के लयि समान अवसर जैसे वषियों पर वचिर-वमिरश कथि जाएगा।
- वशेष ग्राम सभाओं में लयि नरिधारण जाँच पर पाबंदी, लड़की के जन्म को समारोह के रूप में मनाने तथा सभी महिलाओं के लयि प्रसवपूर्व देखभाल और नवजात देखभाल से संबंधति वषियों पर चर्चा की जाएगी।
- इन वशेष ग्राम सभाओं में प्रत्येक लड़की के लयि उचति देखभाल, पोषटकि आहार तथा टीकाकरण, लड़कयिों को स्कूल जाने के लयि प्रोत्साहति करने और उनके लयि घर तथा स्कूल में सुरकषति माहौल पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें स्कूली शक्तिषा पूरी करने हेतु प्रोत्साहति कथि जाएगा।
- बाल ववाह पर पाबंदी, महिलाओं तथा लड़कयिों के साथ होने वाली हसिा दुस्व्यवहार और अन्याय को रोकने, ग्राम पंचायतों में नरिवाचति महिला प्रतनिधियिों की सकरयि भागीदारी और नरिणय लेने में उनके योगदान तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी के लयि महिलाओं को प्रोत्साहति करने जैसे वषियों पर चर्चा की जाएगी।
- इन सभाओं के आयोजन के दौरान नवजात शशुओं के शारीरिक और मानसकि वकिस के लयि जन्म के बाद पहले 1000 दनिों तक स्तनपान करने तथा चाइलड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका जैसे वषियों को चर्चा में शामिल कथि जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका:

- सामुदायकि सकरयिता को बढ़ाने और समुदाय के व्यवहार परविरतन के अग्रदूत के रूप में काम करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- 73वें संवधान संशोधन ने ग्रामीण स्वशासन को स्वायत्तता प्रदान की और शासन संचालन को आम जनमानस के नकिट ला दिया।
- इस संशोधन से महिलाओं को पंचायतों में एक-तहिाई आरकषण प्राप्त हुआ।
- अब तक 20 राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के आरकषण को बढ़ाकर 50 प्रतशित करने हेतु कानून पारति कथि है।
- इसके परणामस्वरूप 30.41 लाख नरिवाचति प्रतनिधियिों में से 13.74 लाख (45.2 प्रतशित) महिलाएँ हैं।

- इनमें से कुछ सामाजिक रूप से पछिड़े समूहों से भी हैं जो अब नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में हैं।

अन्य नवाचार:

- पंचायती राज मंत्रालय ने समुदाय की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिये **ग्राम पंचायत** स्तर पर एकीकृत विकास नियोजन के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan- GPDP) का ढाँचा तैयार किया है।
- GPDP संबंधी दिशा-निर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किये जाने के बाद इन दिशा-निर्देशों के कुछ प्रमुख पहलू महिला सशक्तीकरण के लिये प्रासंगिक हो गए हैं।
- इन संशोधनों में बजट बनाने, नियोजन, जीपीडीपी की नगिरानी तथा क्रयान्वयन सामान्य ग्राम सभा से पहले महिला सभाओं का आयोजन कराना शामिल है।
- ये सभी पहलू पंचायती राज मंत्रालय के वज़िन दस्तावेज़ 2024 का हिस्सा हैं।

आगे की राह:

- लैंगिक समानता का सद्दिशांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सद्दिशांतों में प्रतिपादित है।
- संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
- प्रकृति द्वारा किसी भी प्रकार का लैंगिक विभेद नहीं किया जाता है। समाज में प्रचलित कुछ तथ्य जैसे- महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा जैविक रूप से कमज़ोर होती हैं इत्यादि केवल भ्रान्तियाँ हैं।
- दरअसल महिलाओं में वशिष्ट जैविक अंतर, विभेद नहीं बल्कि प्रकृति प्रदत्त वशिष्टताएँ हैं, जिनमें समाज का सद्भाव और सृजन निहित हैं।

स्रोत: पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gram-sabhas-and-mahilasabhas>

